रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एच.आर.-अ.-12042024-253682
CG-HR-E-12042024-253682

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 12, 2024/चैत्र 23, 1946
No. 231] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 12, 2024/CHAITRA 23, 1946

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2024

सा.का.नि. 245(अ).— साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 2024 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) यथा संशोधित 2023 तक, की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का विचार है, को उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके इस अधिसूचना से प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिस तारीख को भारत के राजपत्र की प्रतियाँ जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

सभी आपत्तियों अथवा सुझावों पर जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त होते हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

कोई भी व्यक्ति जो उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में कोई सुझाव देना चाहता है, वह अपना सुझाव ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, एन.एच.-IV, फरीदाबाद (हरियाणा)-121001 को भेज सकता है।

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना :

i. इन नियमों का नाम साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 2024 है।

ii. यह इस अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित सभी कृषि वस्तुओं और अन्य उपज पर लागू होंगे।

iii. ये भारत के आधिकारिक राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988, (2009 तक संशोधित) (जिसे इसके बाद मूल नियम कहा जाएगा) में, नियम 2 के उप नियम (आर) के बाद निम्नलिखित परिभाषाएं अंतःस्थापित की जाएंगी:

(एस) "न्यायनिर्णयन अधिकारी" से अधिनियम की धारा 5 (सी) के तहत नियुक्त/अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेत है।

(टी) "जाँच" का अभिप्राय अधिनियम की धारा 5 (सी) में निर्दिष्ट जांच है।

3. मूल नियम में, नियम 2 में परिभाषाओं के बाद निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा "(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद, जो परिभाषित नहीं हैं, लेकिन जिन्हें इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है, जैसा भी मामला हो, के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम और नियम में हैं।"

4. मूल नियम में नियम 20 का लोप किया जाएगा।

5. मूल नियम में नियम 19 के बाद निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किए जाएंगे:-

"20. जुर्माना और न्यायनिर्णयन:

1. जुर्माना प्रावधान:

(1) कोई भी अनधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी वस्तु के श्रेणीकरण और चिह्नांकन में संलिप्त पाया जाता है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय किसी श्रेणी अभिधान चिह्न की जालसाजी करने की किसी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है या किसी श्रेणी अभिधान चिह्न की जालसाजी करने के उद्देश्य से उसके पास कोई डाई, प्लेट या अन्य उपकरण है, तो उस पर न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय किसी भी ऐसे अनुसूचित वस्तु को बेचने की किसी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है जो कि उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार गलत श्रेणीकृत है और/या किसी भी निर्धारित श्रेणी के अनुरूप नहीं है तो उस पर न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 5 (ए) के प्रावधान के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(4) कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय ऐसे किसी अनुसूचित वस्तु को बेचने में संलिप्त पाया जाता है जो सरकारी राजपत्र में अधिसूचित श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा चिह्नित नहीं है, तो उस पर न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 5 (बी), उपधारा 4 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।

2. न्यायनिर्णयन कार्यवाही:

(1) कृषि विपणन सलाहकार द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा यदि यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय से संबंधित किसी वस्तु में इस अधिनियम की धारा 4, 5, 5(ए) और 5(बी) उप-धारा (4) का उल्लंघन किया गया है, तो अधिकारी कथित उल्लंघन के न्यायनिर्णयन के लिए न्यायनिर्णयन अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।

(2) न्यायनिर्णयन अधिकारी उन धाराओं के आधार पर मामले की जांच करेगा जिनके तहत व्यक्ति पर उल्लंघन का आरोप लगाया गया है और जांच कार्यवाही शुरू करेगा।

(3) न्यायनिर्णयन अधिकारी को अधिनियम की धारा 4, 5, 5 (ए) और 5 (बी) उप-धारा (4) के तहत उल्लंघन के निर्णयन के प्रयोजनार्थ जांच करने की शक्ति होगी।

(4) इस अधिनियम की धारा 5सी के तहत निर्णयन के प्रयोजनार्थ जांच करने हेतु कि क्या किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) ने उक्त अधिनियम में उल्लिखित नियम 20 के उप नियम 2 (3) के संदर्भ में किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है या जिन नियमों के संबंध में उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाया गया है, न्यायनिर्णयन अधिकारी सबसे पहले ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें उन्हें नोटिस दिए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस मामले में पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।

(5) ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियम 20 के उप नियम 2(4) के तहत दिए गए प्रत्येक नोटिस में उसके या उनके द्वारा किए गए कथित उल्लंघन की प्रकृति, अधिनियम की धारा (धाराओं) के कथित उल्लंघन और मामले पर सुनवाई की तारीख का उल्लेख किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति भी ऐसे नोटिस के साथ संलग्न की जाएगी।

(6) सुनवाई की निर्धारित तारीख पर, न्यायनिर्णयन अधिकारी उस व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है या उनके अधिकृत प्रतिनिधि को, ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए कथित उल्लंघन के संबंध में उक्त अधिनियम या नियमों के प्रावधान का उल्लेख करते हुए स्पष्ट करेगा जिसका उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाया गया है।

(7) न्यायनिर्णयन अधिकारी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसे दस्तावेज़ या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा जिन्हें वह जांच के लिए प्रासंगिक समझे और यदि आवश्यक हो तो सुनवाई को अगली तारीख के लिए स्थगित किया जा सकता है, बशर्ते नियम 20 के उप नियम 2(4) में निर्दिष्ट नोटिस में संबंधित व्यक्ति के अनुरोध पर छूट दी जा सकती हो।

परंतु यह भी कि न्यायनिर्णयन अधिकारी उपरोक्त नियम 20 के उपनियम 2(6) के तहत उल्लिखित पहली सुनवाई की तारीख से 90 दिनों के भीतर अंतिम आदेश पारित करेगा।

(8) इस नियम के तहत जांच करते समय, न्यायनिर्णयन अधिकारी के पास मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाने और उपस्थित होने के लिए बाध्य करने की शक्ति होगी, जो न्यायनिर्णयन अधिकारी की राय में जांच के मामले में उपयोगी या प्रासंगिक हो सकता है।

(9) यदि कोई व्यक्ति नियम 20 के उप नियम 2(4) और (5) के अनुसार न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, उपेक्षा करता है या इनकार करता है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी, ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में ऐसा करने के कारणों को दर्ज करने के बाद जांच की कार्रवाई शुरू कर सकता है।

(10) जुर्माने की मात्रा का निर्णय करते समय न्यायनिर्णयन अधिकारी निम्नलिखित का ध्यान रखेगा :-

क. उल्लंघन के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ या अनुचित लाभ,जहां भी माप योग्य हो, की राशि,

ख. उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को हुई या संभावित हानि की राशि,

ग. बार-बार उल्लंघन करने की प्रवृति,

घ. क्या उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना है, और

ङ कोई अन्य प्रासंगिक कारक

(11) यदि, न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने पर, न्यायनिर्णयन अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि वह व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय या उनमें से कोई जिसके खिलाफ जांच की गई है, नियम 20 के उपनियम 2(3) में निर्दिष्ट किसी भी धारा के तहत जुर्माना और/या किसी उपयुक्त प्रशासनिक कार्रवाई के लिए दायी है तो अधिनियम की संगत धारा या धाराओं के प्रावधानों के अनुसार, वह जैसा उचित समझे, लिखित आदेश द्वारा जुर्माना लगा सकता है।

(12) तथापि, यदि न्यायनिर्णयन अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि जिस व्यक्ति या व्यक्तियों जिनके खिलाफ अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की जांच की गई है , उनमें से कोई, असंदिग्ध सिद्ध हुआ है तो न्यायनिर्णयन अधिकारी मामले को खारिज कर देगा।

(13) नियम 20 के उपनियम 2(11) के तहत दिए गए प्रत्येक आदेश में अधिनियम या नियमों या विनियमों के प्रावधान के स्पष्ट उल्लेख होंगे जिनके संबंध में उल्लंघन हुआ है और ऐसे निर्णय के लिए संक्षिप्त कारण भी दिए जाएंगे। आर्थिक दंड लगाते समय न्यायनिर्णयन अधिकारी को नियम 20 के उप नियम (10) का सम्यक ध्यान रखना होगा। ऐसे जुर्माने का भुगतान https://bhartkosh.gov.in/ भुगतान पोर्टल पर किया जाएगा।

21. अपील

(1) उक्त अधिनियम की संगत धारा और इस नियम 20 के उप नियम 2(11) के तहत दिए गए आदेश से पीडित कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम की धारा 5 डी के तहत उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, वह अपीलकर्ता के लिए प्रासंगिक है, की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर कृषि विपणन सलाहकार के समक्ष अपील करेगा। निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद की गई कोई भी अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। बशर्ते कि किसी अपील को उसके लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद अधिकतम 30 दिनों के भीतर स्वीकार किया जा सकता है यदि अपीलकर्ता कृषि विपणन सलाहकार को संतुष्ट कर देता है कि उसके पास निर्धारित अवधि के भीतर अपील नहीं कर पाने का पर्याप्त कारण है।

(2) किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा कृषि विपणन सलाहकार को अपील ज्ञापन, अपील प्रपत्र (अनुलग्नक I) में प्रस्तुत करते हुए पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा। डाक द्वारा प्रेषित अपील ज्ञापन (अनुलग्नक II) कार्यालय में प्राप्त होने के दिन ही कार्यालय में प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

(3) नियम 21 के उप नियम (1) के तहत की गई प्रत्येक अपील ज्ञापन के आधारों को अलग-अलग शीर्षकों के तहत संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया जाएगा और उन्हें क्रमवार क्रमांकित किया जाएगा।

(4) अंतरिम आदेश या निर्देश प्राप्त करने के लिए अलग से अपील ज्ञापन प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, यदि अपील ज्ञापन में इसके लिए अनुरोध किया गया है।

(5) धारा 5डी के तहत की गई प्रत्येक अपील दो प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी और इसके साथ जिस आदेश के खिलाफ अपील की गई है, उसकी एक स्व-सत्यापित प्रति भी संलग्न की जाएगी।

(6) धारा 5डी के तहत की गई प्रत्येक अपील के साथ लगाए गए जुर्माने का 10% शुल्क या न्यूनतम दो हजार रुपये की राशि को https://bhartkosh.gov.in/ भुगतान पोर्टल पर जमा कराए जाने की रसीद संलग्न करनी होगी।

(7) कृषि विपणन सलाहकार को प्रस्तुत की गई प्रत्येक अपील अंग्रेजी या राजभाषा या राज्य की स्थानीय भाषा में होगी और मानक याचिका कागज में विधिवत पृष्ठांकित, अनुक्रमित, एक तरफ डबल स्पेस में साफ़ और सुपाठ्य रूप से टाइप या मुद्रित की जाएगी और पेपरबुक शैली में एक साथ बंधी होगी। अपील को पैराग्राफों में विभाजित किया जाएगा और उन्हें क्रमवार क्रमांकित किया जाएगा। कृषि विपणन सलाहकार के समक्ष की गई किसी भी अपील में प्रत्येक इंटरलाइनेशन के मिटाने या सुधारने या विलोपन पर पक्षकार या उसके अधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(8) कृषि विपणन सलाहकार अपीलकर्ता या न्यायनिर्णयन अधिकारी या मामले से संबंधित किसी भी व्यक्ति से प्रासंगिक दस्तावेज मांग सकता है और मामले में ऐसी जांच के बाद जिसे वह आवश्यक समझे और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद जैसा उचित समझे, ऐसा आदेश पारित कर सकता है।

(9) अपील का निपटारा अपील दायर करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा।

(10) कृषि विपणन सलाहकार स्वतः संज्ञान लेकर या समय-समय पर निदेशालय द्वारा यथा निर्दिष्ट प्रपत्र में किए गए आवेदन के आधार पर, नियम 20 के उपनियम 2(11) के तहत किसी न्यायनिर्णयन अधिकारी जिसे उनके द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, द्वारा पारित किसी भी आदेश की समीक्षा और पुनर्विचार कर सकते हैं और वह समीक्षा के बाद ऐसे अधिकारी द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि, आशोधन या रद्द कर सकते हैं।"

[फा. सं. क्यू-11047/05/एपी(जी&एम) एक्ट/2022-मानक]

फ़ैज़ अहमद किदवई, अपर सचिव (विपणन)

नोट–मूल नियम भारत के राजपत्र में जी.एस.आर. संख्या 434 दिनांक 17 मई, 1989 के तहत प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार जी.एस.आर संख्या 796(अ) दिनांक 30 अक्टूबर, 2009 के तहत संशोधित किए गए थे।

(अनुलग्नक I)

अपील प्रपत्र

सेवा में

कृषि विपणन सलाहकार
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय
ब्लॉक ए, न्यू सीजीओ कॉम्प्लेक्स
फरीदाबाद

महोदय,

1. मैं.....पुत्र/ पुत्री/ पत्नी..... आयु..... वर्ष और निवासी..... एतद्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और कथन करता हूँ कि:

2. मैं फर्म अर्थात्..... का एकमात्र मालिक/साझेदार/निदेशक हूं, जो.....पर स्थित है।

3. कृषि उपज (श्रेणीकरण एवं चिह्नाकंन) अधिनियम, 1937 यथा संशोधित 2023 तक, के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, न्यायनिर्णयन अधिकारी, (स्थान) द्वारा पारित आदेश दिनांक.....के खिलाफ अपील प्रस्तुत करना चाहता हूं।

(अपीलकर्ता के हस्ताक्षर)

(अनुलग्नक II)

विषय-सूची

विषय-सूची का नमूना

क्र.सं.	**प्रदर्श विवरण**	**पृष्ठ सं.**
1.	अपील ज्ञापन	
2.	न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा जारी आदेश दिनांक..... की प्रति	
3.	अन्य संगत दस्तावेज और संलग्नक	

अपील ज्ञापन

1. अपीलकर्ता का विवरण
   i. अपीलकर्ता का नाम:
   ii. अपीलकर्ता का पता:
   iii. न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा जारी आदेश पर पता:
   iv. संपर्क विवरण (ईमेल/टेलीफोन)
2. मामले के तथ्य: यहां मामले के तथ्यों और निर्दिष्ट आदेश के खिलाफ अपील के आधारों का कालक्रमानुसार संक्षिप्त विवरण दें, प्रत्येक पैराग्राफ में यथासंभव स्पष्टतः अलग-अलग मुद्दे, तथ्य या अन्यथा सम्मिलित हों।
3. प्रार्थित अनुतोष: पैराग्राफ 2 में उल्लिखित तथ्यों और आधारों जिन पर विवादित आदेश को चुनौती दी गई है, के तथ्यों के मद्देनजर अपीलकर्ता निम्नलिखित अनुतोष के लिए प्रार्थना करता है।
4. मामला किसी अन्य अदालत में लंबित नहीं हैं: अपीलकर्ता यह भी घोषणा करता है कि जिस मामले के संबंध में यह अपील की गई है, वह किसी भी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण या किसी अन्य न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित नहीं है।
5. प्रदत्त अपील शुल्क के भुगतान का विवरण:
   i. शुल्क की राशि रु. में:
   ii. भुगतान का प्रकार और बैंक और लेन-देन आईडी:
6. संलग्नकों की सूची और संलग्नक

(अपीलकर्ता के हस्ताक्षर)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2024

G.S.R. 245(E).—The following draft of the General Grading and Marking (Amendment) Rules, 2024, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) as amended up to 2023, is hereby published as required by the said section for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public.

All objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

Any person desirous of making any suggestion in respect of the said draft rules, may forward the same, within the period specified above, to the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, Directorate of Marketing and Inspection, Head Office, CGO Complex, NH - IV, Faridabad (Haryana) 121001.

1. Short title and application:

i. These Rules may be called the General Grading & Marking (Amendment) Rules, 2024

ii. They shall apply to all articles of agricultural and other produce included in the Schedule to the Act.

iii. They shall come into force from the date of their final publication in the official Gazette of India.

2. In the General Grading and Marking Rules, 1988, (amended up to, 2009) (herein after referred to as the principal rules), in rule 2 after sub rule (r) following Definitions shall be inserted:

(s) "Adjudicating Officer" means any officer appointed/ notified under section 5 (C) of the Act.

(t) "Inquiry" means the inquiry referred in section 5 (C) of the Act.

3. In the principal rules, in rule 2 after Definitions the following shall be inserted: " (2) The words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act and rules made thereunder shall have same meaning as assigned to them in the Act and the said rules, as the case may be."

4. In the principal rules, Rule 20 shall be omitted.

5. In the principal rules following rules shall be inserted after Rule 19:-

"20. Penalty and Adjudication:

1. Penalty provisions:

(1) Any person or body of persons without being authorised found to be involved in to grade and mark any article under the provisions of the Act shall attract penalty as provided under Section 4 of the Act by the Adjudicating Officer.

(2) Any person or body of persons found to be involved in any activity to counterfeit any grade designation mark or who has in his possession any die, plate or other instrument for the purpose of counterfeiting a grade designation mark shall attract penalty as provided under Section 5 of the Act by the Adjudicating Officer.

(3) Any person or body of persons found to be involved in any activity to sell any scheduled article which is misgraded and/or not conforming to any prescribed grade as per section 3 of the said Act shall attract penalty as provided under Section 5 (A) of the Act by the Adjudicating Officer.

(4) Any person or body of persons found to be involved in selling any scheduled article which is not marked with the grade designation mark as notified in official gazette shall attract penalty under Section 5 (B), sub section 4 of the Act by the Adjudicating Officer.

2. Adjudication proceedings:

(1)An officer duly authorised by the Agricultural Marketing Adviser, if found that any article belongs to any person or body of person has contravened Section 4, 5, 5(A) and 5(B) sub-section(4) of the Act will report to the Adjudicating Officer for adjudication of the contravention alleged to have been committed.

(2) The Adjudicating Officer shall examine the case on the basis of the sections under which the person has been alleged for contravention and commence the inquiry proceedings.

(3) The Adjudicating Officer shall have power to hold an inquiry for purpose of adjudicating on contraventions under sections 4, 5, 5(A) and 5(B) sub- section(4) of the Act.

(4) For holding an inquiry for the purpose of adjudication under section 5C of the Act as to whether any person(s) has/have committed contravention to any of the provisions of the Act referred to Rule 20 sub Rule 2(3) herein or the rules in respect of which the contravention is alleged to have been committed, the Adjudicating Officer shall, in the first instance, issue a notice to such person or persons giving him or them an opportunity to make a representation in the matter within 30 days from the date of service of the notice.

(5) Every notice under Rule 20 sub rule 2(4) to any such person shall indicate the nature of contravention alleged to have been committed by him or them, the section(s) of the Act alleged to have been contravened, and the date of hearing of the matter. A copy of the report of the authorised officer shall also be annexed to such notice.

(6) On the date fixed for hearing, the Adjudicating Officer shall explain to the person or persons proceeded against or to his authorized representative, the contravention alleged to have been committed by such person, indicating the provision of the Act or Rules in respect of which the contravention is alleged to have taken place.

(7)The Adjudicating Officer shall then give an opportunity to such person or persons to produce such documents or evidence as he may consider relevant to the inquiry and if necessary the hearing may be adjourned to a future date provided that the notice referred to in Rule 20 sub rule 2(4) may, at the request of the person concerned, be waived.

Provided further that the Adjudicating Officer shall pass the final order within 90 days from the date of first hearing mentioned under Rule 20 sub rule 2(6) above**.**

(8) While holding an inquiry under this rule, the Adjudicating Officer shall have the power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which, in the opinion of the Adjudicating Officer may be useful for or relevant to, the subject matter of the inquiry.

(9) If any person fails, neglects or refuses to appear as required by Rule 20 sub rule 2(4) & (5) before the Adjudicating Officer, the Adjudicating Officer may proceed with the inquiry in the absence of such person, after recording the reasons for doing so.

(10) While adjudging the quantum of penalty an adjudicating officer shall have due regard to the following:–

a. the amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,

b. the amount of loss caused or likely to be caused to any person as a result of the contravention,

c. the repetitive nature of the contravention,

d. whether the contravention is without his knowledge, and

e. any other relevant factor.

(11) If, upon consideration of the evidence produced before the Adjudicating Officer, the Adjudicating Officer is satisfied that the person or body of persons or any of them against whom the inquiry has been conducted, has become liable to penalty and/or any suitable administrative action under any of the sections referred to in Rule 20 sub rule 2(3); he may, by order in writing, impose such penalty as he thinks fit, in accordance with the provisions of the relevant section or sections of the Act.

(12) If however, the Adjudicating Officer is satisfied that the person or persons or any of them against whom the inquiry has been conducted for the contravention of provisions of the Act, has or have not been proved beyond doubt, the Adjudicating Officer shall dismiss the case.

(13) Every order made under Rule 20 sub rule 2(11) shall specify the provisions of the Act or the rules or the regulations in respect of which the contravention has taken place and shall contain brief reasons for such decision. While imposing monetary penalty, the Adjudicating Officer shall have due regard to Rule 20 sub rule (10). Such penalty will be remitted on ***https://bharatkosh.gov.in/*** payment portal.

21. Appeal

(1) Any person aggrieved by an order made under relevant section of the said Act and this rule 20 sub rule 2(11), shall file an appeal under section 5D of this Act to the Agricultural Marketing Adviser within thirty days from the date of receipt of order against which the appeal is filed, is relevant by the appellant. No appeal shall be admitted if it is preferred after the expiry of the period prescribed. Provided that an appeal may be admitted a maximum of another 30 days after the expiry of the period prescribed therefor if the appellant

satisfies the Agricultural Marketing Adviser that he had sufficient cause for not preferring the appeal within the prescribed period.

(2) A memorandum of appeal shall be presented in Form of Appeal (Annexure I) by any aggrieved person to the Agricultural Marketing Adviser and shall be sent by registered post. A memorandum of appeal (Annexure II) sent by post shall be deemed to have been presented in the office on the day it is received in the office.

(3) Every Memorandum of Appeal filed under Rule 21 sub rule (1) shall set forth concisely under distinct heads, the grounds of such appeal and such grounds shall be numbered consecutively.

(4) It shall not be necessary to present separate memorandum of appeal to seek interim order or direction, if the same is prayed for in the Memorandum of Appeal.

(5) Every appeal made under section 5 D shall be filed in duplicate and shall be accompanied by a self-attested copy of the order appealed against.

(6) Every appeal made under section 5 D shall be accompanied by a receipt of fee of 10% of the penalty imposed or minimum two thousand rupees to be remitted on *https://bharatkosh.gov.in/* payment portal.

(7) Every appeal presented to the Agricultural Marketing Adviser shall be in English or official language or the local language of the state and shall be fairly and legibly typed or printed, in double spacing on one side of standard petition paper, duly paginated, indexed and stitched together in paper book form. Appeal shall be divided into paragraphs and shall be numbered consecutively. Every interlineations erasing or correction or deletion in any appeal filed before the Agricultural Marketing Adviser shall be duly signed by the party or his authorized person in writing.

(8)The Agricultural Marketing Adviser may call for relevant documents from the appellant or adjudicating officer or any person relevant to the matter and may after such inquiry in the matter as he considers necessary and after giving an opportunity to the parties to be heard, pass such orders as he thinks fit.

(9)The appeal shall be disposed of within sixty days from the date of filing appeal.

(10) The Agricultural Marketing Adviser suo-moto, or on an application made in the form as specified by the Directorate from time to time, review and reconsider any order passed under rule 20 sub rule 2(11) by an adjudicating officer to whom the powers have been delegated by him and may confirm, modify or set aside the orders passed by such officer after the review."

[F.No. Q-11047/05/AP(G&M) Act/2022-Std]

FAIZ AHMED KIDWAI, Addl. Secy. (Marketing)

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India *vide* GSR no. 434, dated 17th May, 1989 and were last amended *vide* G.S.R. No. 796(E), dated 30thOctober, 2009.

(Annexure I)

FORM OF APPEAL

To,

The Agricultural Marketing Adviser Directorate of
Marketing and Inspection

Block A, New CGO Complex Faridabad

Sir,

1. I, ……, S/o, D/o, W/o.....
aged……..... years and resident of….....
do hereby solemnly affirm and state that:

2. I am the sole Proprietor/ Partner/ Director of the firm namely……..

…… situated at ……

3. In accordance with the provision of the Agricultural Produce (Grading & Marking) Act, 1937 amended up to 2023 and the Rules made thereunder, an appeal against the order dated passed by the Adjudicating Officer, (Place).

(Signature of the Appellant)

(Annexure II)

INDEX **(Specimen Index)**		
Srl. No.	**EXHIBIT PARTICULARS**	**Page No.**
1.	Memorandum of Appeal	
2.	Copy of the Order dated_____issued by the Adjudicating Officer	
3.	Other relevant documents and enclosures	

MEMORANDUM OF APPEAL

1. Particulars of the Appellant

   i. Name of the Appellant:
   ii. Address of the Appellant:
   iii. Address on the Order issued by the Adjudicating Officer
   iv. Contact details (email/ telephone)

2. Facts of the case: Here give a concise statement of facts of the case and grounds of appeal against the specified order, in a chronological order, each paragraph containing as neatly as possible a separate issue, fact or otherwise.
3. Relief(s) sought: In view of the facts mentioned in paragraph 2 and the grounds on which the impugned order is challenged, the Appellant prays for the following relief(s).
4. Matters not pending with any other court: The Appellant further declares that the matter regarding which this appeal has been filed, is not pending before any court of law or any other authority or any other Tribunal.
5. Payment of appeal fee paid:

   i. Amount of fee Rs.:_____
   ii. Mode of Payment and Bank and Transaction id:_____

6. List of enclosures and enclosures

(Signature of the Appellant)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.04.12 22:35:48 +05'30'